

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 30
आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | | |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| कुल | 6062.91 | 20792.78 | 26855.69 | 4649.12 | 94900.41 | 99549.53 | 5718.97 | 49449.86 | 55168.83 | 6736.88 | 13189.92 | 19926.80 | |
| वसूलियां | -0.09 | -5721.24 | -5721.33 | ... | -6518.00 | -6518.00 | ... | -5407.61 | -5407.61 | ... | -3518.00 | -3518.00 | |
| प्राप्तियां | -649.02 | -7226.81 | -7875.83 | -128.34 | -31775.01 | -31903.35 | -628.45 | -33516.67 | -34145.12 | -593.52 | -1275.02 | -1868.54 | |
| निवल | 5413.80 | 7844.73 | 13258.53 | 4520.78 | 56607.40 | 61128.18 | 5090.52 | 10525.58 | 15616.10 | 6143.36 | 8396.90 | 14540.26 | |
| क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | आर्थिक कार्य विभाग | 121.28 | ... | 121.28 | 156.59 | ... | 156.59 | 176.32 | ... | 176.32 | 211.28 | ... | 211.28 |
| 2. संबद्ध कार्यालय | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | दूतावास, वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग | 13.06 | ... | 13.06 | 18.29 | ... | 18.29 | 23.38 | ... | 23.38 | 19.42 | ... | 19.42 |
| 2.02 | वायदा बाजार आयोग | 0.18 | ... | 0.18 | 0.34 | ... | 0.34 | 0.19 | ... | 0.19 | 0.30 | ... | 0.30 |
| 2.03 | प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण | 6.15 | ... | 6.15 | 20.84 | ... | 20.84 | 15.71 | ... | 15.71 | 17.39 | ... | 17.39 |
| 2.04 | पंद्रहवां वित्त आयोग | 15.00 | ... | 15.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़- संबद्ध कार्यालय | | | | | | | | | | | | | |
| 34.39 | | ... | 34.39 | 39.47 | ... | 39.47 | 39.28 | ... | 39.28 | 37.11 | ... | 37.11 | |
| 3. वास्तविक वसूलियों | | | | | | | | | | | | | |
| -0.08 | | ... | -0.08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 155.59 | | ... | 155.59 | 196.06 | ... | 196.06 | 215.60 | ... | 215.60 | 248.39 | ... | 248.39 | |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | | |
| 4. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण | ... | 2000.00 | 2000.00 | ... | 2500.00 | 2500.00 | ... | 2500.00 | 2500.00 | ... | ... | ... |
| 4.02 | सकल बजटीय सहायता | 2.99 | 3567.45 | 3570.44 | 3.00 | 5000.01 | 5003.01 | 1.67 | 5000.01 | 5001.68 | 3.00 | 5000.01 | 5003.01 |
| 4.03 | राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त राशि | ... | -2000.00 | -2000.00 | ... | -2500.00 | -2500.00 | ... | -2500.00 | -2500.00 | ... | ... | ... |
| <i>निवल</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2.99 | | 3567.45 | 3570.44 | 3.00 | 5000.01 | 5003.01 | 1.67 | 5000.01 | 5001.68 | 3.00 | 5000.01 | 5003.01 | |
| 5. अर्थक्षमता अंतर निधियन | | | | | | | | | | | | | |
| 23.76 | | ... | 23.76 | 240.00 | 10.00 | 250.00 | 130.00 | 10.00 | 140.00 | 400.00 | 100.00 | 500.00 | |
| ब्याज समकरण सहायता | | | | | | | | | | | | | |
| 6. भारतीय कंपनी | | | | | | | | | | | | | |
| 208.59 | | ... | 208.59 | 225.00 | ... | 225.00 | 203.00 | ... | 203.00 | ... | ... | ... | |
| 7. एक्जिम बैंक | | | | | | | | | | | | | |
| 2397.49 | | ... | 2397.49 | 1776.01 | ... | 1776.01 | 1100.00 | ... | 1100.00 | ... | ... | ... | |

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 8. भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण सीमा | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1300.00 | ... | 1300.00 |
| जोड़-ब्याज समकरण सहायता | 2606.08 | ... | 2606.08 | 2001.01 | ... | 2001.01 | 1303.00 | ... | 1303.00 | 1300.00 | ... | 1300.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 2632.83 | 3567.45 | 6200.28 | 2244.01 | 5010.01 | 7254.02 | 1434.67 | 5010.01 | 6444.68 | 1703.00 | 5100.01 | 6803.01 |
| केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान | | | | | | | | | | | | |
| 9. आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान | 0.25 | ... | 0.25 | 0.28 | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.28 |
| 10. अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान | 0.09 | ... | 0.09 | 0.10 | ... | 0.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) | 95.89 | ... | 95.89 | 125.80 | ... | 125.80 | 125.80 | ... | 125.80 | 120.00 | ... | 120.00 |
| 12. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: | 87.10 | ... | 87.10 | 117.77 | ... | 117.77 | 118.39 | ... | 118.39 | 103.24 | ... | 103.24 |
| 13. एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 सकल बजटीय सहायता | 3.54 | ... | 3.54 | 4.18 | ... | 4.18 | 4.18 | ... | 4.18 | 4.32 | ... | 4.32 |
| 13.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | -3.54 | ... | -3.54 | -4.18 | ... | -4.18 | -4.18 | ... | -4.18 | -4.32 | ... | -4.32 |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14. आईडीए को अंशदान | | | | | | | | | | | | |
| 14.01 सकल बजटीय सहायता | 500.00 | ... | 500.00 | 0.01 | ... | 0.01 | 500.00 | ... | 500.00 | 500.00 | ... | 500.00 |
| 14.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | -500.00 | ... | -500.00 | -0.01 | ... | -0.01 | -500.00 | ... | -500.00 | -500.00 | ... | -500.00 |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: (अंतरराष्ट्रीय अंशदान) | 61.96 | ... | 61.96 | 62.85 | ... | 62.85 | 62.95 | ... | 62.95 | 62.82 | ... | 62.82 |
| 16. एशियाई विकास निधि में अंशदान | | | | | | | | | | | | |
| 16.01 सकल बजटीय सहायता | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | ... | ... | ... | -0.01 | ... | -0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17. एशियाई विकास निधि में अंशदान-12 | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 सकल बजटीय सहायता | 75.60 | ... | 75.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | -75.60 | ... | -75.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. एशियाई विकास निधि में अंशदान-13 | | | | | | | | | | | | |
| 18.01 सकल बजटीय सहायता | ... | ... | ... | 89.15 | ... | 89.15 | 89.20 | ... | 89.20 | 89.20 | ... | 89.20 |
| 18.02 घटाएं-प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से पूर्ति | ... | ... | ... | -89.15 | ... | -89.15 | -89.20 | ... | -89.20 | -89.20 | ... | -89.20 |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19. एएफडीएफ के लिए अंशदान | | | | | | | | | | | | |
| 19.01 सकल बजटीय सहायता | 69.88 | ... | 69.88 | 34.99 | ... | 34.99 | 35.07 | ... | 35.07 | ... | ... | ... |
| 19.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | -69.88 | ... | -69.88 | -34.99 | ... | -34.99 | -35.07 | ... | -35.07 | ... | ... | ... |

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | |
|--|--------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20. क्लाइमेट एक्शन पियर (सीएपीई) को योगदान | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 |
| 21. एसईईटीएफ के लिए अंशदान | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 |
| जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान | 245.29 | ... | 245.29 | 306.82 | ... | 306.82 | 307.44 | ... | 307.44 | 286.36 | ... | 286.36 |
| 22. उधार के लिए नई व्यवस्था: | | | | | | | | | | | | |
| 22.01 सकल बजट | ... | ... | ... | ... | 1000.00 | 1000.00 | ... | 100.00 | 100.00 | ... | 0.01 | 0.01 |
| 22.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि | ... | ... | ... | ... | -1000.00 | -1000.00 | ... | -100.00 | -100.00 | ... | -0.01 | -0.01 |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल | | | | | | | | | | | | |
| 23.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद | ... | 1365.85 | 1365.85 | ... | 1518.00 | 1518.00 | ... | 1007.61 | 1007.61 | ... | 1518.00 | 1518.00 |
| 23.02 घटाएं वसूलियां | ... | -1365.85 | -1365.85 | ... | -1518.00 | -1518.00 | ... | -1007.61 | -1007.61 | ... | -1518.00 | -1518.00 |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24. आरक्षित निधि | | | | | | | | | | | | |
| 24.01 गारंटी मोचन निधि | 1600.00 | ... | 1600.00 | 600.00 | ... | 600.00 | 939.07 | ... | 939.07 | 1000.00 | ... | 1000.00 |
| 24.02 गोल्ड आरक्षित फंड | 677.11 | ... | 677.11 | 997.50 | ... | 997.50 | 2000.01 | ... | 2000.01 | 2498.00 | ... | 2498.00 |
| जोड़- आरक्षित निधि | 2277.11 | ... | 2277.11 | 1597.50 | ... | 1597.50 | 2939.08 | ... | 2939.08 | 3498.00 | ... | 3498.00 |
| 25. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग | | | | | | | | | | | | |
| 25.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक हेतु व्यय (ब्रिक्स/सार्क/इंटरनेशनल करप्शन हंटर्स एलायंस/न्यू डेवलपमेंट बैंक और जीआईजेड के लिए सेवा कर) | 31.60 | ... | 31.60 | 25.69 | ... | 25.69 | 20.06 | ... | 20.06 | 20.18 | ... | 20.18 |
| 26. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश | | | | | | | | | | | | |
| 26.01 आईएफआई में निवेश | ... | 10385.01 | 10385.01 | ... | 4495.61 | 4495.61 | ... | 7042.34 | 7042.34 | ... | 1740.69 | 1740.69 |
| 26.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि (एडीबी/एफ, एएफडीबी/एफ, आईएमएफ) | ... | -7122.33 | -7122.33 | ... | -1000.01 | -1000.01 | ... | -3641.67 | -3641.67 | ... | -1000.01 | -1000.01 |
| <i>निवल</i> | ... | 3262.68 | 3262.68 | ... | 3495.60 | 3495.60 | ... | 3400.67 | 3400.67 | ... | 740.68 | 740.68 |
| 27. अन्य व्यय: | | | | | | | | | | | | |
| 27.01 कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई अदावी प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान। | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 27.02 संरक्षित बचत योजनाएं | 0.10 | ... | 0.10 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 27.03 आईएमएफ को देय मूल्यांकन प्रभार | ... | ... | ... | 0.64 | ... | 0.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27.04 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय | 27.03 | ... | 27.03 | 68.46 | ... | 68.46 | 107.03 | ... | 107.03 | 241.54 | ... | 241.54 |
| 27.05 नई योजनाएं | ... | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| 27.06 भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) | ... | ... | ... | 0.75 | ... | 0.75 | 0.75 | ... | 0.75 | 50.00 | ... | 50.00 |
| 27.07 गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन | 31.94 | ... | 31.94 | 65.00 | ... | 65.00 | 50.00 | ... | 50.00 | 50.00 | ... | 50.00 |
| जोड़- अन्य व्यय: | 59.10 | ... | 59.10 | 134.88 | 0.01 | 134.89 | 157.84 | 0.01 | 157.85 | 341.60 | 0.01 | 341.61 |

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 28. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में कौशल निर्माण प्रशिक्षण | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30.00 | ... | 30.00 |
| 29. सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण | | | | | | | | | | | | |
| 29.01 गृह निर्माण अग्रिम | ... | 97.95 | 97.95 | ... | 175.00 | 175.00 | ... | 175.00 | 175.00 | ... | 175.00 | 175.00 |
| 29.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम | ... | 0.04 | 0.04 | ... | 0.24 | 0.24 | ... | 0.24 | 0.24 | ... | 0.24 | 0.24 |
| 29.03 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम | ... | 48.30 | 48.30 | ... | 74.76 | 74.76 | ... | 74.76 | 74.76 | ... | 74.76 | 74.76 |
| 29.04 घटाएं प्राप्तियां | ... | -104.48 | -104.48 | ... | -275.00 | -275.00 | ... | -275.00 | -275.00 | ... | -275.00 | -275.00 |
| <i>निवल</i> | ... | 41.81 | 41.81 | ... | -25.00 | -25.00 | ... | -25.00 | -25.00 | ... | -25.00 | -25.00 |
| 30. लघु बचत योजनाएं | 12.29 | ... | 12.29 | 15.82 | ... | 15.82 | 15.83 | ... | 15.83 | 15.83 | ... | 15.83 |
| | -0.01 | ... | -0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>निवल</i> | 12.28 | ... | 12.28 | 15.82 | ... | 15.82 | 15.83 | ... | 15.83 | 15.83 | ... | 15.83 |
| 31. बजट के लिए मशीनों की खरीद | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32. आवास संबंधी पूंजी परिव्यय | ... | 0.17 | 0.17 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| 33. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक लिए ब्रिज लोन | ... | 54.43 | 54.43 | ... | 55.46 | 55.46 | ... | 56.20 | 56.20 | ... | ... | ... |
| 34. स्वर्ण मुद्राकरण योजना | | | | | | | | | | | | |
| 34.01 स्वर्ण जमा | ... | 1273.89 | 1273.89 | ... | 2500.00 | 2500.00 | ... | 1900.00 | 1900.00 | ... | 2000.00 | 2000.00 |
| 34.02 घटाएं वसूतियां | ... | -2355.39 | -2355.39 | ... | -2500.00 | -2500.00 | ... | -1900.00 | -1900.00 | ... | -2000.00 | -2000.00 |
| <i>निवल</i> | ... | -1081.50 | -1081.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती | ... | 35.35 | 35.35 | ... | 34.34 | 34.34 | ... | 34.34 | 34.34 | ... | 31.17 | 31.17 |
| 36. रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल) | ... | 49.07 | 49.07 | ... | 49.34 | 49.34 | ... | 49.34 | 49.34 | ... | 50.02 | 50.02 |
| 37. मध्यम आय समूह के लिए किरायायती आवासन | ... | 915.27 | 915.27 | ... | 2250.00 | 2250.00 | ... | 1000.00 | 1000.00 | ... | 1500.00 | 1500.00 |
| 38. अवसंरचना योजना के लिए सहायता | ... | ... | ... | ... | 44714.64 | 44714.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39. एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन | ... | 1000.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 1000.00 |
| 40. आकस्मिकता निधि में अंतरण | | | | | | | | | | | | |
| 40.01 आकस्मिकता निधि में अंतरण | ... | ... | ... | ... | 29500.00 | 29500.00 | ... | 29500.00 | 29500.00 | ... | ... | ... |
| 40.02 संचित निधि से विनियोजन | ... | ... | ... | ... | -29500.00 | -29500.00 | ... | -29500.00 | -29500.00 | ... | ... | ... |
| <i>निवल</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-अन्य | 2625.38 | 4277.28 | 6902.66 | 2080.71 | 51597.39 | 53678.10 | 3440.25 | 5515.57 | 8955.82 | 4191.97 | 3296.89 | 7488.86 |
| जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | 2625.38 | 4277.28 | 6902.66 | 2080.71 | 51597.39 | 53678.10 | 3440.25 | 5515.57 | 8955.82 | 4191.97 | 3296.89 | 7488.86 |
| कुल जोड़ | 5413.80 | 7844.73 | 13258.53 | 4520.78 | 56607.40 | 61128.18 | 5090.52 | 10525.58 | 15616.10 | 6143.36 | 8396.90 | 14540.26 |

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| सामान्य सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. अन्य राजकोषीय सेवाएं | 12.62 | ... | 12.62 | 16.20 | ... | 16.20 | 16.11 | ... | 16.11 | 16.11 | ... | 16.11 |
| 2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 121.23 | ... | 121.23 | 156.59 | ... | 156.59 | 176.32 | ... | 176.32 | 211.28 | ... | 211.28 |
| 3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 21.15 | ... | 21.15 | 20.84 | ... | 20.84 | 15.71 | ... | 15.71 | 17.39 | ... | 17.39 |
| 4. विविध सामान्य सेवाएं | 1600.03 | ... | 1600.03 | 600.03 | ... | 600.03 | 939.10 | ... | 939.10 | 1000.03 | ... | 1000.03 |
| 5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय | ... | -1081.50 | -1081.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-सामान्य सेवाएं | 1755.03 | -1081.50 | 673.53 | 793.66 | 3.00 | 796.66 | 1147.24 | ... | 1147.24 | 1244.81 | ... | 1244.81 |
| सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.10 | ... | 0.10 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 8. आवास पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 0.17 | 0.17 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| जोड़-सामाजिक सेवाएं | 0.10 | 0.17 | 0.27 | ... | 20.00 | 20.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 9. कृषि वित्तीय संस्थान | 95.89 | ... | 95.89 | 125.80 | ... | 125.80 | 125.80 | ... | 125.80 | 120.00 | ... | 120.00 |
| 10. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान | 2.99 | ... | 2.99 | 3.00 | ... | 3.00 | 1.67 | ... | 1.67 | 3.00 | ... | 3.00 |
| 11. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं | ... | ... | ... | 0.66 | ... | 0.66 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.02 | ... | 0.02 |
| 12. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 860.15 | ... | 860.15 | 1508.11 | ... | 1508.11 | 2429.75 | ... | 2429.75 | 3392.50 | ... | 3392.50 |
| 13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश | ... | 5482.72 | 5482.72 | ... | 8250.01 | 8250.01 | ... | 7000.01 | 7000.01 | ... | 7500.01 | 7500.01 |
| 14. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश | ... | 3262.68 | 3262.68 | ... | 3495.60 | 3495.60 | ... | 3400.67 | 3400.67 | ... | 740.68 | 740.68 |
| 15. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ... | ... | ... | ... | 44724.65 | 44724.65 | ... | 10.01 | 10.01 | ... | 100.01 | 100.01 |
| 16. कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण | ... | 49.07 | 49.07 | ... | 49.34 | 49.34 | ... | 49.34 | 49.34 | ... | 50.02 | 50.02 |
| 17. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण | ... | 35.35 | 35.35 | ... | 34.34 | 34.34 | ... | 34.34 | 34.34 | ... | 31.17 | 31.17 |
| 18. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण | ... | 54.43 | 54.43 | ... | 55.46 | 55.46 | ... | 56.20 | 56.20 | ... | ... | ... |
| 19. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 959.03 | 8884.25 | 9843.28 | 1637.57 | 56609.40 | 58246.97 | 2557.24 | 10550.57 | 13107.81 | 3515.52 | 8421.89 | 11937.41 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 20. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग | 2699.64 | ... | 2699.64 | 2089.55 | ... | 2089.55 | 1386.01 | ... | 1386.01 | 1383.00 | ... | 1383.00 |
| 21. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण | ... | 41.81 | 41.81 | ... | -25.00 | -25.00 | ... | -25.00 | -25.00 | ... | -25.00 | -25.00 |
| 22. आकस्मिकता निधि को विनियोग | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-अन्य | 2699.64 | 41.81 | 2741.45 | 2089.55 | -25.00 | 2064.55 | 1386.01 | -25.00 | 1361.01 | 1383.00 | -25.00 | 1358.00 |
| कुल जोड़ | 5413.80 | 7844.73 | 13258.53 | 4520.78 | 56607.40 | 61128.18 | 5090.52 | 10525.58 | 15616.10 | 6143.36 | 8396.90 | 14540.26 |

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

| | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश | | | | | | | | | | | | |
| 1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि. | 3567.45 | ... | 3567.45 | 5000.01 | ... | 5000.01 | 5000.01 | ... | 5000.01 | 5000.01 | ... | 5000.01 |
| 2. एडीवी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि. द्वारा ऋण की अदायगी | 35.35 | ... | 35.35 | 34.34 | ... | 34.34 | 34.34 | ... | 34.34 | 31.17 | ... | 31.17 |
| जोड़ | 3602.80 | ... | 3602.80 | 5034.35 | ... | 5034.35 | 5034.35 | ... | 5034.35 | 5031.18 | ... | 5031.18 |

- सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात् वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास आदि के आर्थिक स्कन्ध आदि, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के स्थापना व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) लिमिटेड में अंतरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।
- अर्थक्षमता अंतर निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतर निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
- भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण सीमा:** यह प्रावधान रियायती दर पर वित्तपोषण, एग्जिम बैंक को अतिदेय पुराने व्याज सहित भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता स्कीम (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण व्यवस्था के लिए व्याज समकरण सहयोग के निमित्त है।
- आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।
- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोपीय संबंधों पर आर्थिक सहभागिता और विकास नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफटीएम और जीएवीआई को अंशदान के अंतर्गत अंशदान देने सहित अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए है।
- एफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
- आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान देने के लिए है।
- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: (अंतरराष्ट्रीय अंशदान):** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
- एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान करने के लिए है।
- क्लाइमेट एक्शन पियर (सीएपीई) को योगदान:** क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- एसईडीएफ के लिए अंशदान:** साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड (एसईडीएफ) में योगदान के लिए प्रावधान है।
- उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार लेने की नई व्यवस्था में निवेश के लिए नोट खरीद करार को आगे बढ़ाने के लिए है।
- मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है।
- वारक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम और स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम में अंतरण के लिए है।
- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक (त्रिक्स/सार्क/एनडीवी/ इंटरनेशनल करप्शन इंटरस एलायंस के लिए) और जीआईजेड को सेवाकर के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईवीआरडी), एशियाई विकास बैंक को अभिदान, अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान और मूल्य के अनुरक्षण दायित्व (एमओवी) दायित्व के प्रति भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में

निवेश तथा सामान्य पूंजी वर्द्धन (जीसीआई) के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन में निवेश हेतु प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में आईएमएफ के उधारी संसाधनों में भारत का अंशदान भी शामिल है।

27. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान कालातीत मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर व्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा अदावी प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, आईएमएफ को भुगतान योग्य निर्धारण प्रभार, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि, आईआईपीडीएफ के तहत अन्य व्यय और गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए है। नई घोषणाओं के लिए सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

28. **केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण:** यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए है।

29. **सरकारी सेवकों आदि को ऋण:** यह एक संयुक्त मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों हेतु उनके कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है।

जिस प्रयोजन से सब्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।

30. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है।

32. **आवास संबंधी पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासों की इकाईयों के निर्माण के लिए रखा गया है।

34. **स्वर्ण मुद्राकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम, 2015 के तहत जुटाए गए सोने के मूल्य के लिए है।

35. **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती:** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण के भुगतान के लिए प्रावधान है।

36. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफडी) को रियायती साझेदार ऋण के भुगतान के लिए रखा गया है।

37. **मध्यम आय समूह के लिए सस्ता आवासन:** यह प्रावधान मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवासन हेतु विशेष विंडो बनाने के लिए है।

39. **एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन:** यह प्रावधान एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन हेतु है जिसमें असीम अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एआईएफएल) और एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल) शामिल हैं।